Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 4; Issue 3; 2026; Page No. 01-04

Received: 01-02-2026
Accepted: 09-03-2026
Published: 04-05-2026

भारत में विमुद्रीकरण से उत्पन्न परिदृश्य

कृष्णा कुमारी

शोधार्थी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20038283

Corresponding Author: कृष्णा कुमारी

सारांश

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा (नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद–बिक्री लेन–देन और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा तय करती है जिसके अंदर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के अन्य वर्ग के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकते हैं अगर तय समय सीमा के अंदर जिस प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाते हैं किसी भी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में से किसी खास वर्ग या वर्गों को प्रतिबंधित करने के कई कारण होते हैं इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में सबसे खास बात यह है कि सामान्यतः प्रतिबंध बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर लगाया जाता है जैसे कि भारत में 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया जो देश में प्रचलित नोटों में सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट थे विमुद्रीकरण के कारणों में सबसे प्रमुख है देश की अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका जब किसी देश में लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से नगद लेन–देन ज्यादा करने लगते हैं तब मुद्रा की जमाखोरी बढ़ जाती है और फिर यही जमाखोरी धीरे–धीरे काले धन के रूप में उस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो जाती है ऐसी स्थिति में काला धन देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जिससे नगदी संकट की समस्या पैदा होने लगती है. अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से काले धन के रूप में मुद्रा के बाहर होने से न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन जाता है. यह काला धन ही देश में आतंकवाद नक्सलवाद अपराध हवाला कारोबार और तस्करी का मुख्य पोषक बन जाता है साथ ही दुश्मन देश इसी आपराधिक गतिविधियों की आड़ में देश में जाली मुद्रा को भारी मात्रा में झोंककर देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बनाने की साजिश रचते हैं।

मूलशब्द: प्रतिबंधित मुद्रा, समानांतर अर्थव्यवस्था, जमाखोरी, जाली मुद्रा, विनाशकारी, मुख्यधारा, आतंकवाद, आर्थिक व्यवस्था

प्रस्तावना

विमुद्रीकरण के बारे में 8 नवम्बर 2016 से पहले संभवतः भारत के आम लोग इस शब्द से अपरिचित ही रहे होंगे इसकी वजह इस शब्द का रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग का लगभग ना होना रहा है। हाँ, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, शिक्षक और फिर अर्थजगत के ज्ञाता विमुद्रीकरण से अवगत तो रहे होंगे, परन्तु क्या भारत में इसे अमल में लाया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा हालाँकि जिस तरह से देश की नरेन्द्र मोदी की सरकार काले धन (ठसंबा डवदमल) पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय थी, उससे अनुमान लगाया जाने लगा था कि काले धन को नेस्तनाबूद करने के लिए वह कोई बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठा सकते हैं अंततः 8 नवम्बर 2016 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने बड़े मूल्य के नोटों यानि 500 और 1000 के नोटों को उसी दिन की अर्धरात्रि से बंद कर दिए जाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद उपरोक्त दोनों मूल्य वर्ग के नोट कानूनी तौर पर अवैध हो गए और उन नोटों यानि मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह गई। एसे इससे पहले भी नोटबंदी में हुए है पर उसका प्रभाव उतना व्यापक नहीं था।

संक्षिप्त तौर पर कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा

(नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद–बिक्री लेन–देन और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है। मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा तय करती है, जिसके अंदर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के अन्य वर्ग के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकते हैं अगर तय समय सीमा के अंदर जिस प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाते हैं।

विमुद्रीकरण किसी भी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में से किसी खास वर्ग या वर्गों को प्रतिबंधित करने के कई कारण होते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में सबसे खास बात यह है कि सामान्यतः प्रतिबंध बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर लगाया जाता है जैसे कि भारत में 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया जो देश में प्रचलित नोटों में सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट थे विमुद्रीकरण के कारणों में सबसे प्रमुख है, देश की अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका जब किसी देश में लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से नगद लेन–देन ज्यादा करने लगते हैं तब मुद्रा की जमाखोरी बढ़ जाती है और फिर यही जमाखोरी धीरे–धीरे काले धन के रूप में उस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में काला धन देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जिससे नगदी संकट की समस्या पैदा होने लगती है। अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से काले धन के रूप में मुद्रा के बाहर होने से न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। यह काला धन ही देश में आतंकवाद नक्सलवाद अपराध हवाला कारोबार और तस्करी का मुख्य पोषक बन जाता है साथ ही दुश्मन देश इसी आपराधिक गतिविधियों की आड़ में देश में जाली मुद्रा को भारी मात्रा में झोंककर देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बनाने की साजिश रचते हैं। विमुद्रीकरण के आठ वर्ष बाद भी सरकार के इस निर्णय को लेकर आम लोगों की राय काफी बँटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में काफी मदद की है।

वहीं आलोचकों का मत है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी गहरे तक प्रभावित किया है और इससे नकदी पर निर्भर रहने वाले अधिकांश छोटे व्यवसायों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था । विमुद्रीकरण को लागू किये जाने के पीछे मुख्यतः तीन उद्देश्य थे।

- **काले धन को समाप्त करना–**भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि देश में काले धन का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2016 तक देश में 16.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिसमे से 14.18 लाख करोड़ रुपये 500 और 1000 मूल्य वर्ग के थे। यानि कुल नोटों में से 500 और 1000 मूल्य वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी 86 फीसदी थी। परन्तु आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि इन बड़े मूल्य वर्ग के नोट बाजार में सिर्फ 24 फीसदी ही थे। यानि कि बाकी बचे 76 फीसदी बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को जमाखोरी कर काले धन में परिवर्तित कर दिया गया था।
- **नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना–**भारतीय अर्थव्यवस्था जाली नोटों की बढती संख्या से भी त्रस्त था। अनुमान लगाया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण से पूर्व लगभग 400 करोड़ रुपए के जाली नोटों का प्रवाह था। यानि प्रति 10 लाख नोटों में 250 जाली नोट थे। इतना ही नहीं, इन जाली नोटों के भंडार में प्रति वर्ष 70 करोड़ का इजाफा भी हो रहा था। इन जाली नोटों में से 50 फीसदी से अधिक केवल 1000 मूल्य वर्ग के नोट ही थे और बाकी 500 मूल्य वर्ग के थे। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का खोखला होते जाना लाजिमी था। अंततः जरूरी था कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बनते जा रहे काले धन और जाली नोटों के खेल पर करारा प्रहार हो सके। देश की वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया विमुद्रीकरण का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक सफल प्रयास कहा जा सकता है।
- **डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना–**कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना–सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि रिजर्व बैंक के आँकड़ों की मानें तो नोटबंदी लागू होने से अब तक अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के कुल मूल्य और मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल नोटों की संख्या तकरीबन 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखने को मिली है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नोटबंदी लागू किये जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हुई है। हालाँकि नोटों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ डिजिटल लेन–देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

कोरोना वायरस महामारी ने भी लोगों के बीच नकदी के प्रचलन को और बढ़ावा दिया है। जब मार्च माह में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आम लोगों ने किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये नकदी को एकत्र करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उस काल में अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रचलन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी

वर्ष 2020 अक्टुबर माह में प्रकाशित रिजर्व बैंक के आँकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 3434.56 करोड़ की भारी वृद्धि हुई है। आँकड़ों के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

अक्टूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली (न्च्) आधारित भुगतान ने 207 करोड़ लेन–देन के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विमुद्रीकरण के समय जमा धन से जुड़े विधिक व व्यावहारिक पहलू मात्र ₹2000 प्रतिदिन या 20 हजार की साप्ताहिक निकासी की सीमा का सामान्यीकरण, शादी व बीमारी के वक्त व्यक्ति के स्वयं के संचित धन की निकासी हेतु पहचान पत्र जैसे साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण एवं निकासी सीमा का आरोपण जैसे नियमों का पालन करना पड़ा जिससे सामान्य लोगों का परेशानी बढ़।

भारत में ग्रामीण ऋण का 46 प्रतिशत को–ऑपरेटिव बैंकों द्वारा दिया जाता है। ऐसे में को–ऑपरेटिव बैंकों में नोट जमा और वापस लेने के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया जो उचित उचित नहीं था।। आदिवासी, खाता विहीन व्यक्ति व मंदबुद्धि,

बेघर, पहचान पत्र विहीन लोगों के धन की रक्षा हेतु सरकार की नीति अस्पष्ट थी । नेपाल राष्ट्र में जमा ₹3.5 करोड़ के भारतीय नोट के विनिमय (म्नबींदहम) के अनुरोध को त्ठप् द्वारा ठुकराना एवं सांस्कृतिक रूप से व्यावहारिक लेन–देन पर आधारित नेपाल में ₹10000 करोड़ की प्रचलित भारतीय मुद्रा को हवाला का धन मानना अनुचित था।

विमुद्रीकरण के फायदे

- **काले धन पर करारा प्रहार**–विमुद्रीकरण का सबसे करारा चोट काले धन के कुबेरों पर पड़ा है. अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये काले धन के रूप में छिपा कर रखे गए हैं। इन रुपयों का हवाला कारोबार, तस्करी, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा था। कश्मीर में जारी हिंसा में भी काला धन मुख्य भूमिका निभा रहा था। देश की सियासत में भी काला धन लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। अंततः विमुद्रीकरण कर जब इस पर प्रहार किया गया, तो माना जा रहा है कि काले धन पर पूर्ण तो नहीं परन्तु इसके सम्राज्य पर लगभग 80 से 90 फीसदी प्रभाव अवश्य पड़ेगा।
- **आतंकवाद नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट**–विमुद्रीकरण के चोट से आतंकवादी गुटों, नक्सली समूहों, नशे के कारोबारियों सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को करारा आघात पहुंचा है। इसका स्पष्ट प्रभाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ इन समूहों द्वारा जमा किए गए नोटों के बंडल कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गए हैं वहीं नए नोटों के अभाव में इनकी गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं।
- **टैक्स कलेक्शन में बढ़ोत्तरी**–सरकार ने विमुद्रीकरण से पहले और विमुद्रीकरण के दौरान काले धन को छिपाकर रखने वालों को राहत देते हुए कहा था कि वे अपने धन का खुलासा कर नियम के अनुसार टैक्स चुका कर मुख्यधारा में आ सकते हैं। इसका असर हुआ. बहुत सारे लोगों ने राहत का फायदा उठाया और जो छिपे रहे उनमें से कईयों के ठिकाने पर एजेंसियों ने छापा मारकर उन्हें पकड़ा और नगदी को जब्त किया। अब तक की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद टैक्स कलेक्शन में 14.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
- **अर्थव्यवस्था में वृद्धि**–विमुद्रीकरण के बाद अनुमान लगाया गया है कि इस कदम से सरकारी खाते में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये आएंगे। साथ ही 65 हजार करोड़ रुपये विभिन्न करों (ज्ंग) के माध्यम से भी आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े अभी अनुमानित हैं। ये अनुमान से कहीं अधिक भी हो सकते हैं। इतनी भारी–भरकम रकम आने से सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश करेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगा।
- **सस्ते होंगे ब्याज दर**–विमुद्रीकरण के बाद काले धन के एक बड़े भाग का अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आने से बैंकों में डिपाजिट बढ़ेंगे। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नगदी आने से वे कर्ज का प्रवाह बढ़ाएंगे। कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए लाजमी हो जाएगा कि वे कर्ज पर ब्याज दर में कटौती करें ऐसा होने पर जहां व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, वहीं पिछले दो सालों से मंदी की मार झेल रहे रियल्टी सेक्टर में उछाल आएगा। परिणामस्वरूप मकानों की बिक्री बढ़ने के साथ सस्ते घर का भी सपना पूरा होने की उम्मीद है।

विमुद्रीकरण के नुकसान

- देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती है। विमुद्रीकरण में लोगों के पास जो नोट होते हैं वह अवैध माने जाते हैं। उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता है। लोग उन पैसों से कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए लोगों के बीच आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती है। 2016 में भारत में नोटबंदी के बाद 200 लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग अस्पताल में अपना इलाज भी नहीं करवा पाए क्योंकि उनके पास जो पैसे थे उसे अस्पताल वालों ने स्वीकार नहीं किया। रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, सब्जियां, राशन खरीदने में भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
- गरीब वर्ग को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है नोटबंदी होने पर वहां के गरीब वर्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मजदूर जो देहाड़ी पर रोज के हिसाब से काम करते हैं उनका रोजगार छिन जाता है क्योंकि मालिक के पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं होता है। 2016 में भारत में ऐसा ही हुआ था। हजारों मजदूरों का काम अचानक से बंद हो गया था क्योंकि मालिक के पास उन्हें देने के लिए सही मुद्रा ही नहीं थी ।
- रियल एस्टेट सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ता है नोटबंदी के समय लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत नकदी लोगों के पास होता है। वह रोजमर्रा की चीजें खरीदने के काम आता है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर पर बुरा असर पड़ता है। लोगों के पास बड़ी मात्रा में नकदी ना होने से वो मकान, जमीन, फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं।
- किसानों को नुकसान नोटबंदी होने से लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है इसलिए वह सब्जियां भी नहीं खरीद पाते हैं। किसानों को मजबूरन अपने सब्जियों के दाम कम करने पड़ते हैं और उन्हें बहुत नुकसान उठाना होता है। सब्जियों के दाम 50ः से 60ः कम हो जाते है।

इसके अतिरिक्त बैंक में पुराने नोट लौटने के लिए बहुत से लोग पूरे दिन लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते थे। बहुत से लोगों को सदमा लग गया और वे मर गए। अनेक लड़के लड़कियों की शादी सिर्फ इस वजह से टूट गई क्यूँकि उनके पास नकदी नहीं थी । बहुत से लोग अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सके क्योंकि उनके पास वैध नकदी नहीं थी। जो पुराने नोट उनके पास थे वे अवैध घोषित हो चुके थे और अस्पताल वालों ने उसे लेने से मना कर दिया था। इस तरह नोटबंदी में बहुत से लोगों की जान चली गई।

निष्कर्ष

रिजर्व बैंक की वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट की मानें तो विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में जब्त किये गए अधिकांश नोटों में 100 रुपए मूल्यवर्ग की संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2019–20 में 1.7 लाख नकली नोट, वर्ष 2018–19 में 2.2 लाख नकली नोट और वर्ष 2017–18 में 2.4 लाख नकली नोट जब्त किये गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में 10, 50, 200 और 500 रुपए मूल्यवर्ग में जब्त किये गए नकली नोटों की संख्या में क्रमशः 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत, 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम के बावजूद अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा है। समग्र विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नोटबंदी के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने

और वित्तीय प्रणाली के औपचारिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विमुद्रीकरण अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः विफल रहा है और काले धन को समाप्त करने का इसका प्राथमिक लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।

सन्दर्भ

1. योजना पत्रिका जनवरी 2019
2. कुरूक्षेत्र पत्रिका मार्च 2018
3. दैनिक समाचार पत्र
4. Acharya SN. Aspects of the black economy in India. New Delhi: National Institute of Public Finance and Policy; 1986.
5. Government of India. Committee on digital payments. New Delhi: Ministry of Finance; 2016.
6. Henry JS. The cash connection: how to make the mob miserable. Washington Monthly; 1980.
7. PricewaterhouseCoopers India. Disrupting cash: accelerating electronic payments in India. Mumbai: PricewaterhouseCoopers India; 2015.
8. Rai S. A flawed policy: the real problem with demonetisation is not just in implementation. Scroll.in; 2016.
9. Rogoff KS. The curse of cash. Princeton: Princeton University Press; 2016.
10. Sands P. Making it harder for the bad guys: the case for eliminating high denomination notes. Harvard Kennedy School M&RCBG Associate Working Paper No. 52. Cambridge (MA): Harvard Kennedy School; 2016.
11. Sen P. Demonetisation is a hollow move. Mint; 2016.
12. Summers L. It’s time to kill the $100 bill. Washington Post; 2016 Feb 16.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.